

# भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन

Sarita\*

M.A. in History, Net Qualified

**शोध सार:** भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तदनुरूप बदलाव भी होते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पत्ति में उनको बराबरी का हक था। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबर्दस्त गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़ियाँ जकड़ती गईं, घर की चाहरी दीवारी में कैद होती गईं और नारी एक अबला, रमणी और भोग्या बनकर रह गईं। आर्य समाज आदि समाज-सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास आरम्भ किये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बन्धन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरुषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सदी तक आते-आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किये। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। इस शोध-पत्र में भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

**मुख्य शब्द:** भारतीय इतिहास, शिक्षा, आयाम और महिलाओं की स्थिति।

-----X-----

प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि निर्वाह अर्थव्यवस्था में पशुचारण की प्रधानता ने पितृत्मक सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायता दी थी। शूनः शेष एवं दिवालिये जुआरी के दृष्टांतों से स्पष्ट हो जाता है कि परिवार में पुरुष मुखिया का पूर्ण नियंत्रण था। महिलाओं को पासा व सुरा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में गिना जाता था। पुत्री का जन्म अशुभ माना जाता था। पितृसत्तात्मकता के अनुरूप ही समाज की प्रमुख विशेषताएं भी थी- महिलाओं को पुरुषों के अधीन प्रदर्शित करना, उसके लिए परिवृता, त्याग, पवित्रता आदि आदर्शों को बाध्यकारी बनाना है इसके लिए कुछ कुप्रथाओं जैसे पर्दा, सती का पालन अनिवार्य बना दिया गया। ऐसा कहा गया कि जिस स्त्री का तीर्थ में स्नान करने की इच्छा हो उसे पति का चरणोदक पीना चाहिए। विभिन्न धर्मग्रन्थों वेद मनुस्मृति आदि में भी नारी के विभिन्न रूपों का चित्रण निराशापूर्ण किया गया है क्योंकि इनके रचयिता पुरुष ही थे। कार्लमार्क्स ने धर्म को अफीम इसी अर्थ में कहा था। हमारे शास्त्रकारों ने हिन्दुस्तान की आधी आबादी (नारी) को पतिव्रत धर्म का ऐसा अफीम खिलाया कि उसका नशा आज के वैज्ञानिक युग में भी उतरा नहीं है। घर की चहारदीवारी में कैद नारी को भले ही समाज ने उत्कृष्ट स्थान न दिया हो वह निर्विवाद रूप से समाज

का अभिन्न अंग है। सृष्टि के विकास का वह ही सूत्रधार बनती है। हर बच्चे की माँ ही उसकी प्रथम पाठशाला बनती है। परिवार के दिशा निर्धारण का वह आधार बनती है। इसलिए जब कभी भी इतिहास में निष्पक्ष होकर, उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर स्त्रियों की व्याख्या की गयी तो उन्हें समाज में प्रमुख स्थान दिया गया और यही कारण है कि वृहदारण्यक उपनिषद् में पत्नी की आदर्श छवि प्रस्तुत करते हुए उसे अद्र्धांगिनी कहा गया है। राजसूय यज्ञ के दौरान जिन लगभग एक दर्जन रत्नियों के घर राजा जाता था उनमें से 4 स्त्रियाँ होती थीं इसलिए तत्कालीन मात्रकुलीय रिवाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज में आदर्श नारीत्व के उदाहरण अपाला, घोषा, गार्गी, लोपमुद्रा, मैत्रेयी आदि के रूपों से प्राप्त होते हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद स्त्रियों को अज्ञानता की श्रेणी से अलग करता है। उपनिषदों में ब्रह्मवादिनी महिलाओं के अच्छे उदाहरण मिलते हैं-

नारी को “मातृ देवो भव”

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता”

“महाशक्ति ज्योति विभूति, यह नारी सदा अजेय”

“शतपुत्र समा कन्या”

आदि कह कर इतिहास में उसका मान बढ़ाया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि पति पत्नी के कर्तव्य एक दूसरे के लिए होते हैं। ब्राह्मण काल में सामाजिक व धार्मिक कल्याण के कार्यों में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य थी। उत्तर वैदिक युग में शिक्षा का अधिकार छिनने से उनका सम्मान घटता गया। मौर्यकाल में कुछ स्तर सुधरा और प्रशासनिक सेवायें की। गुप्त युग में भी सम्मान रहा। वैष्णव धर्म, राजधर्म लक्ष्मी की प्रतिष्ठा से स्त्रियों का सम्मान बढ़ा। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्को पर राजा के साथ-साथ पत्नी लिच्छवि रानी का चित्र था। आक्रमणकारियों से महिलाओं की स्थिति बिगड़ी क्योंकि वे इन्हे लूट का माल और मनोविनोद का साधन मानते थे। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जबरजस्ती सती होने की घटनायें बढ़ी। व्यक्ति इनसे जल्दी छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। सूत्रकाल में महिलाओं के स्तर में काफी पतन हुआ। पुर्नविवाह, अंतर्जातीय विवाह, उपनयन संस्कार पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ-साथ शिक्षा के अधिकार से भी महिलाओं को वंचित कर दिया गया। रामायण व महाभारत से समय के महाकाव्यकाल में कभी न मिटने वाले नारीत्व के आदर्श प्रस्तुत हुए। सीता की छवि आज भी आदर्श मानी जाती है। राजा दशरथ का कहना था-

“यह तप क्या होता है रानी, बस कन्या कर दिखलाती है। मां बाप जिसे दे देते हैं, उसकी ही वह हो जाती है।”

इस प्रकार इस युग में पत्नियों पति के लिये समर्पित होने के आदर्श से प्रेरित थीं।

सीता का स्वयंवर इस बात का सूचक था कि महिलाओं को अपना जीवनसाथी चुनने की पर्याप्त स्वतंत्रता थी। महाभारत में द्रोपदी का प्रकरण बहुपति प्रथा प्रचलित होने का सूचक थी। महाभारत में महिलाओं को सभी गलत कार्यों की जड़े माना गया है। दिल्ली सल्तनत और मुगलकाल में महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में काफी पतनशील हो गयी यद्यपि हिन्दू स्त्रियों का परिवार में सम्मान था किन्तु उनकी सामाजिक स्थिति निम्न हो गयी थी। शक्तिशाली मुस्लिमों द्वारा हिन्दू बेटियों से विवाह करके जबरजस्ती इस्लाम ग्रहण करवाया जाता था। सुरक्षात्मक कारणों से महिलायें पर्दा प्रथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से जकड़ी हुई थी और कन्या बाल हत्या का प्रचलन तेजी से था सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय कर दी थी। वैश्यावृत्ति

महिलाओं के उत्पीड़न का चरम बिन्दु थी। इस प्रकार ऐतिहासिक ग्रन्थों में जिन्हें धर्मग्रन्थ कहा जाता है आदि में जितने भी उपदेश दिये गये हैं अधिकांश जिनसे यही स्पष्ट होता है कि पुरुष ने नारी के लिये अमानवीय नियम बनाकर एक चक्रव्यूह में डाल दिया है। स्त्री को चाहिए की वह अपने पति द्वारा ताड़ना दिये जाने पर या पति के क्रोध करने पर भी क्रोध न करें। क्या स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं? सब नियम, धर्म और कर्तव्य स्त्रियों के लिये ही बनाये गये हैं। स्त्रियों द्वारा आंखे मूदकर पुरुषों इन नियमों को स्वीकार कर लेने का परिणाम यह हुआ कि नारी पुरुष निर्मित नियमों धर्मों व कर्तव्यों के चक्रव्यूह में जकड़ती चली गई एवं यदि कभी नारी ने इस चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास किया भी तो पुरुष निर्मित नियमों, रूढ़ियों अशिक्षा व अन्धविश्वास उसके मार्ग में रोड़ बनकर आ गये और उसका मार्ग पुनः अवरूद्ध हो गया।

प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने महिलाओं के मानसिक स्तर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने स्वयं ही पुरुषों के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया। परिवार में पुरुष व महिला के कार्यों, कर्तव्यों, अधिकारों आदि का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया था। महिलाओं को सभी प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उन्हें धैर्य, दया, त्याग समर्पण आदि मूल्यों को अपनाने की जरूरत पर ज्यादा जोर दिया गया था। निम्न वर्ग की महिलायें आर्थिक जरूरतों के कारण अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र थीं। सल्तनत काल की तुलना में मुगलकाल राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से स्थिरता का युग था। मुस्लिम समाज में बाल विवाह पर्दाप्रथा जैसी घिनौनी प्रथाये थी। मध्ययुग में भक्तिकालीन और मुस्लिम सूफी संतो के प्रयासों से दोनों समुदायों की स्त्रियों की दशा में कुछ सुधार हुआ। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में लीन होकर सुन्दर भजन गाकर अमरत्व को प्राप्त किया। खानकाहों में पर्दे की शर्तें लागू थी। सल्तनत काल में रजिया, मुगल में नूरजहाँ मुमताज, जेबुन्निसा आदि ने आदर्श स्त्री की भूमिका अभिनीत की। 18 वीं शताब्दी में कन्या शिशु वध की प्रथा ने जोर पकड़ा। स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों से अनजान होने के कारण इस युग की स्त्रियाँ अधिकांश समय बीमारी से ग्रस्त रहती थी और उत्साह का अभाव रहता था। मुस्लिम महिलाओं के जीवन को सुखमय बनाने का उल्लेख कुरान में मिलता है।

19वीं शताब्दी में सती प्रथा बड़े स्तर पर महिलाओं के लिये अभिशाप बनी हुई थी। एक साध्वी स्त्री हेतु अपने पति की चिता पर सती होने के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा विकल्प

नहीं बचा था। ऐसी विषम परिस्थिति में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि उनकी सहायता के लिये आगे आये। प्रसिद्ध समाजसुधारक विवेकानन्द ने स्त्रियों में निहित अपार संभावनाओं को महसूस किया था इसीलिए उन्होंने कहा था “500 समर्पित व्यक्तियों द्वारा इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ वर्षों में सम्पन्न कर सकता हूँ।” इस प्रकार 19वीं शताब्दी में राष्ट्र के विकास में उनकी जरूरत को महसूस किया जाने लगा था। महात्मा गाँधी ने कहा था “जिस सभ्यता में स्त्री जाति का सम्मान नहीं किया जाता उस सभ्यता का नाश निश्चित ही है संसार न केवल अकेले पुरुष से चल सकता है न अकेली स्त्री से इसके लिए तो एक दूसरे का सहयोग ही उपाय है।” भारतीय इतिहास में 19वीं सदी पुनर्जागरण का काल थी जिसमें पहले से चली आ रही महिलाओं की कुप्रथाओं के विरुद्ध चेतना जागृत हुई और उनके स्तर में सुधार हेतु सकारात्मक माहौल बना। खुद महिलाओं ने जैसे रमाबाई रानाडे ने बाल विवाह विरोध और स्त्री शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कार्य किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सिविल मैरिज एक्ट, सती प्रथा पर रोक, दास प्रथा, शिशु हत्या पर रोक आदि ऐसी अनेक सामाजिक क्रियायें हुई जिन्होंने स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया। इनसे स्त्रियों के प्रति लोगों के नजरिये में बदलाव आया। आधुनिक युग में आकर स्त्रियों ने शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, खेल जगत, प्रशासनिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित कर ली है। वर्तमान में स्त्रियाँ, पुरुषों की तुलना में अधिक कुशल नजर आ रही हैं और उन्हें समाज में पहले की तरह हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता है।

जेम्स मिल का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक है “असम्भ्य समाज में स्त्रियों का अपमान होता है। जबकि सभ्य समाज में स्त्रियों का सम्मान।” यू.एन.ओ. महिला वर्ष, भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मनाया जाना महिलाओं के प्रति सम्मान है। इस प्रकार जैसे जैसे समाज सभ्य बनता गया महिलाओं का सम्मान बढ़ता गया। बदलते हुये समय में महिलाओं के महत्व और प्रत्येक क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुये सकारात्मक सोच के साथ वैसी ही इतिहास लेखन किया जाना चाहिये। जैसे यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन प्रभाव के कारण इतिहास लेखन धर्म दर्शन से अलग होकर मानवतावादी दृष्टिकोण की ओर उन्मुख हुआ। इतिहास का मार्क्सवादी लेखन रानियों, महारानियों, विदुषी महिलाओं के बजाये सामान्य कामकाजी महिलाओं का उल्लेख करता है। उनके कार्यों, उनकी सोच, उनकी भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उनके त्याग और बलिदान को कदाचित भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी सृजनात्मक शक्ति अनमोल है।

20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध और अब 21 वीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बनने लगे हैं। नौकरी वाली नारी के साथ पुरुष की मानसिकता में बदलाव आया है। वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन तो की जा रही हैं लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरुष-प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय है- “किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारीशक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियाँ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित हैं।”

वस्तुतः इक्कीसवीं सदी महिला सदी है। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इसमें महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के संबंध में जागरूक बनाने के प्रयास किये गए। महिला सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2001 में प्रथम बार प्रथम बार “राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति” बनाई गई जिससे देश में महिलाओं के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताएँ निर्धारित किया जाना संभव हो सके।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

द्विजेन्द्र नारायण झा (2004). डॉ. कृष्ण मोहन श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2004।

नारी का मुक्ति संघर्ष (स्त्री विमर्श) के माधव पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड 2007

एल0पी शर्मा, मध्यकालीन भारत लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा 2006

राजकुमार डॉ. नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस  
2005

हरिशचन्द्र वर्मा मध्यकालीन भारत भाग-2 हिन्दी माध्यम  
कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय 2005

डॉ. एल. के. खुराना भारतीय इतिहास में महिलायें।

वुमैन इन इण्डिया, प्रकाशन भारत सरकार।

अमृत कौर, चैलेंज टू वुमैन।

अनिता सिंह चैहान, भारत की गौरवाशाली नारियाँ, साहित्य  
संस्थान मोतिया पार्क, भोपाल 2008

सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद  
दिल्ली 2008।

---

**Corresponding Author**

**Sarita\***

M.A. in History, Net Qualified

[saritadahiya567@gmail.com](mailto:saritadahiya567@gmail.com)